राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मालीराम बनाम मोहरी देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1791/2025	
18/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/09/2025 निरस्त करते हुये दोनों पक्षों को सुनकर काउन्टर क्लेम के तथ्यों को विवेचित कर पुन: प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिये जाने का निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 व रेस्पो. संख्या 22 ने अपनी सहमति जाहिर की। चूँकि दोनों पक्षों द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/06/2017 को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों की सुनवाई कर काउन्टर क्लेम का संज्ञान लेते हुये संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु अपनी सहमति जाहिर की है। अत: प्रकरण का गुणावगुण का परीक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमती के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/06/2017 को संशोधित कर आदेश प्रदान किये जाते है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी मालीराम के काउन्टर क्लेम के अनुसार अपीलार्थी/प्रतिवादी मालीराम के हिस्से को कुर्रेजात रिपोर्ट में दर्शाते हुये कुर्रेजात तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को प्रदान किये जाते है। तदनुसार अपीलार्थी प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/06/2017 संशोधित किया जाता है। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 18/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

(मुहर: अपील प्राधिकारी जयपुर)